इलाहाबाद में टेलीफोनों का विस्तार

747. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद में टेलीफोन कनेक्शन के विस्तार हेतु वर्तमान योजनायें क्या हैं ;

(ख) वर्षवार 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के वर्षों के दौरान इलाहाबाद में टेलीफोन की कितनी नई लाइनें जोड़ी गयी थीं ;

(ग) प्रतीक्षा सूची में 31 मई, 1986 तक प्राप्त हुई आवेदनों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने आवेदन तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं ; और

(घ) विद्यमान क्षमता में कितनी लाइनें जोड़े जाने का विचार है और इन्हें कब तक जोड़ा जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं योजना के अंत में इलाहाबाद में 5000 लाइनों वाला एक अंकीय इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। यह एक्सचेंज 2700 लाइनों वाले पुराने स्ट्रॉजर एक्सचेंज के बदले में स्थापित किया जाएगा और मौजूदा प्रतीक्षा सूची का निपटान करने में राहत प्रदान करेगा।

(ख) 1983-84, 1984-85 एवं 1985-86 में क्रमशः 947, 618 एवं 759 नई टेलीफोन लाइनें जोड़ी गई हैं।

(ग) 31 मई, 1986 को कुल 1424 आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे। इनमें से 321 आवेदक तीन वर्ष से अधिक से प्रतीक्षा सूची में हैं।

(घ) सातवीं योजना की शेष अवधि में मौजूदा क्षमता में 2300 नई लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है।

Pending cases in Supreme Court

715. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI K. GOPALAN:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) how many cases are pending before the Supreme Court as on date;

(b) how many vacancies of judges are there as on date in the Supreme Court to be filled up;

(c) how many vacancies are there in each High Court to be filled as on date along with the number of cases to be disposed off; and

(d) what steps are being taken by Government to clear off these cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) Information as furnished by the Registries of the Supreme Court and High Courts regarding pending cases and the vacancies is given in the attached Statement I. (*See below*).

(d) Steps taken to reduce pendency in the Supreme Court and High Courts are given in the attached Statement II. (*See* Appendix CXXXIX Annexure No. 45).